छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –　　　　　　　　　　　　　　　　　　प्रकरण क्रमांक –**SM-OTH-2026-03552**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''बिलासपुर टैक्सटाईल मार्केट'', प्रमोटर–मेसर्स ए.डी.जे. एसोसिएट्स, पता–राजीव गांधी चौक, जरहाभाठा, जिला–बिलासपुर (छ.ग) प्रोजेक्ट–'' बिलासपुर टैक्सटाईल मार्केट'' पता–परसदा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
21/05/2026	– प्रकरण प्रस्तुत। – रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा द्वारा प्रतिवेदन दिनाँक 18.02.2026 अनुसार यह पाया गया है कि भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''बिलासपुर टैक्सटाईल मार्केट'' पंजीयन क्रमांक–**PCGRERA040719001008** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनाँक 04.07.2019 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनाँक 26.08.2025 को समाप्त हो चुकी है। उक्त प्रोजेक्अ वाणिज्यिक श्रेणी है, जिसके पंजीयन हेतु नियमानुसार शुल्क रूपये 7,95,495/– जमा किया गया था, परन्तु प्रमोटर द्वारा मात्र रूपये 02 लाख पंजीयन हेतु जमा किया गया था, शेष राशि रूपये 5,95,495/– जमा करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक–92, दिनाँक 09.01.2026 तथा पत्र क्रमांक–259, दिनाँक 20.01.2026 के द्वारा निर्देशित किया गया था, परन्तु प्रमोटर द्वारा आवश्यक शुल्क जमा नहीं किया गया है। संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम की धारा–03 एवं 04 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 11.03.2026 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का पंजीयन प्लाटेड डेव्हलपमेंट के रूप में पंजीकृत कराया गया है। अनावेदक द्वारा प्लॉटेड डेव्हलपमेंट के हिसाब से भुगतान किया गया है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे। सही/–　　　　　　　　सही/– (धनंजय देवांगन)　　　　(संजय शुक्ला) सदस्य　　　　　　　　अध्यक्ष	